न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 377/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
स्व0 भंवरसिह पुत्र धुलाजी उर्फ धुलसिह के का0मुकाम– 1– श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व0 भंवरसिह जाति रावणा राजपूत निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली 2– रतनसिह पुत्र स्व0 भंवरसिह जाति रावणा राजपूत निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली 3– जालमसिह पुत्र स्व0 भंवरसिह जाति रावणा राजपूत निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली 4– श्रीमती भाग्यवंती पत्नी अर्जुनसिह पुत्री स्व0 भंवरसिह जाति रावणा राजपूत निवासी आहोर जिला जालोर		1– देवीसिह पुत्र स्व0 धुलाजी उर्फ धुलसिह जाति रावणा राजपूत निवासी घाणेराव तहसील देसूरी, जिला पाली 2– मदनसिह पुत्र स्व0 धुलाजी उर्फ धुलसिह जाति रावणा राजपूत निवासी घाणेराव तहसील देसूरी, जिला पाली 3– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–8–2004 जो उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा अपील संख्या 2/2002 अनवान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी बनाम देवीसिह व अन्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोप सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भरत श्रीमाली राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 18–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी के खसरा नंबरान 787, 787/1, 786 एवं 794/1 कुल 4 खसरान की 24.15 बीघा भूमि धूला पुत्र नारायण दरोगा सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार धूला के फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण संख्या 1070 पटवारी हल्का घाणेराव ने मृतक धूला के तीन पुत्रो भंवरसिह, देवीसिह एवं मदनसिह पि0 धूला सा0 देह के नाम भरकर प्रस्तुत किया परंतु सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव ने प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से उक्त म्युटेशन दिनांक 6–5–75 को श्रीमती दाकूबाई बेवा धूलसिह जाति रावणा राजपूत के नाम स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 1070 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण के पिता भंवरसिह ने प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव संग अभियान कैम्प घाणेराव मे दिनांक 27–11–2001 को प्रार्थना पत्र बाबत फोतेदगी नामांतरकरण गलत भरने विषय का प्रस्तुत किया । जो उपखण्ड अधिकारी देसूरी के न्यायालय मे राजस्व अपील संख्या 2/2002 सरकार बनाम देवीसिह वगैरा दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद पक्षकारो की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–8–2004 के द्वारा उक्त अपील खारीज कर दी

जाने पर अपीलांटगण मृत खातेदार भंवरसिह के वारिसान की ओर से वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र आदि भी पेश किये गये है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी के खसरा नंबरान 787, 787/1, 786 एव 794/1 कुल 4 खसरान की 24.15 बीघा भूमि धूला पुत्र नारायण दरोगा सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार धूला के फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण संख्या 1070 पटवारी हल्का घाणेराव ने मृतक धूला के तीन पुत्रो भंवरसिह, देवीसिह एवं मदनसिह पि0 धूला सा0 देह के नाम भरकर प्रस्तुत किया परंतु सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव ने प्रस्ताव संख्या 1 का उल्लेख करते हुए उक्त म्युटेशन दिनांक 6-5-75 को श्रीमती दाकूबाई बेवा धूलसिह जाति रावणा राजपूत के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 6-5-75 मे ऐसा कोई प्रस्ताव नही था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त नामांतरकरण संख्या 1070 उतराधिकार का भरा गया था न कि वसीयत का तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी थी जिसकी वसीयत की ही नही जा सकती थी। इस संबंध मे वकील अपीलांट ने खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 तक की पेश की जिसमे धूला वल्द नारायण कौम दरोगा को काश्तकार बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1070 को देखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है क्योकि अपीलाधीन म्युटेशन का यदि अवलोकन करते तो स्पष्ट हो जाता कि उक्त म्युटेशन उतराधिकार का है न कि वसीयत का, इस तमाम तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे यह विवेचन दिया है कि अपीलाधीन भूमि मे भूमिधारी तहसीलदार का कोई हित निहित नही है तथा वह व्यथित पक्षकार नही है तथा यह भी कथन किया कि भूमिधारी ने अपील 27 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की है परंतु डिले का कोई प्रार्थना पत्र नही होने का भी विवेचन देते हुए अपील को खारीज किया है । इस सबंध मे वकील अपीलांट का कथन है कि जो म्युटेशन संख्या 1070 विधिविरूद्ध पारित किया गया था उसके विरूद्ध भूमिधारी तहसीलदार को अपील पेश करने का अधिकार था तथा वह अपील अकेले तहसीलदार की ओर से नही बल्कि अपीलांटगण के पिता भंवरसिह ने प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प घाणेराव मे जो प्रार्थना पत्र म्युटेशन के संबंध मे प्रस्तुत किया गया था उसी पर तहसीलदार की ओर से दिनांक 5-1-2002 को वस्तुस्थिति रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को अपील के रूप मे दर्ज किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन की व्यथित पक्षकार नही होने से तहसीलदार को अपील पेश करने का अधिकार नही था, यह विवेचन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का मेरिट पर गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया केवल रेस्पो0 देवीसिह एवं मदनसिह की प्राथमिक आपत्तियो के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण के पिता भंवरसिह को जवाब, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन ही नही किया क्योकि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि उत्तराधिकार का था परंतु ग्राम पंचायत द्वारा केवल दाकुबाई के नाम दर्ज कर दिया जबकि धुला के स्वर्गवास बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि मे धुला के तीनो पुत्र भंवरसिह देवीसिह एवं मदनसिह के 1/3- 1/3 हिस्सा था तथा दाकु का भी माने तो 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता था तो दाकु को अपने हिस्से तक की भूमि का बक्शीश करने का अधिकार था जबकि दाकुबाई ने सम्पूर्ण भूमि बाबत बक्शीश देवी सिह एवं मदन सिह के पक्ष मे कर दी तथा उक्त बक्शीशनामे के आधार पर एक और म्युटेशन संख्या 1518 स्वीकृत हुआ जो भी प्रारंभ से ही शून्य आदेश था इसलिए ऐरो एब इनिशयो वॉईड आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर भी खारीज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे वसीयत एवं बक्शीश नामे के आधार पर नामांतरकरण भरे गये है तथा यह भी उल्लेख किया है वसीयतकर्ता एवं बक्शीश करने वाले को यह अधिकार थे अथवा नही, उक्त समस्त बाते साक्ष्य से तय हो सकती है, जो रेगूलर सूट मे ही संभव है न कि अपील मे, उक्त विवेचन के साथ अपील को खारीज कर दिया जबकि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1070 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त म्युटेशन धुला के फौत होने पर उत्तराधिकार का भरा गया है न कि वसीयत या बक्शीशनामे का इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे गलत फाईडिंग देते हुए अपील को खारीज किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के पिता भंवरसिह की अनुपस्थिति मे पारित किया गया था तत्समय भंवरसिहजी लंबी बिमारी के बाद उनका दिनांक 19–9–96 को देहांत हो गया था इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटगण मृतक भंवरसिह के वारिसान को जब दिनांक 5–1–18 का एक नोटिस जो देवीसिह को जारी हुआ था, उसका कागज घर मे प्राप्त हुआ तो अपीलांट ने उक्त नोटिस से मुकदमे की जानकारी हासिल की तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा अपीलांट ने तब संबंधित आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल कर बिना विलंब के यह अपील प्रस्तुत कर दी थी इसलिए अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

करते हुए उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन भूमि मे स्व0 भंवरसिंहजी के 1/3 हिस्से की भूमि अपीलांटगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि धूलसिह स्वयं के नाम की खातेदारी भूमि होने से धूलसिह ने उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे दिनांक 17-12-1973 को एक वसीयत अपनी पत्नी दाकू के पक्ष मे वसीयत की थी तथा दाखु के पक्ष मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1070 के आधार पर उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे एक रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अपने दो पुत्र देवीसिह एवं मदनसिह के पक्ष मे दिनांक 29-1-79 को निष्पादित किया तथा बक्शीशनामे के आधार पर उक्त भूमि के संबंध मे नामांतरकरण सख्या 1518 रेस्पो0 संख्या 1 देवीसिह एवं रेस्पो0 संख्या 2 मदनसिह के पक्ष मे स्वीकृत हुआ इसलिए उक्त दोनो ही म्युटेशन विधिवत स्वीकृत किये गये थे ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे हुए असाधारण विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख अपील मे उल्लेखित नही करने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे मयाद के संबंध मे जो विवेचन दिया है, वह विधिसम्मत है तथा यह भी कथन किया कि खातेदार स्व. धूलसिह को वसीयत करने का अधिकार था या नही तथा वसीयत के आधार पर उसकी पत्नी को हासिल हुए अधिकारो के आधार पर धूला की पत्नी दाकू को अपने पुत्रो के पक्ष मे बक्शीशनामा निष्पादित करने का अधिकार था या नही, भूमि पैतृक थी या स्वअर्जित, ये सभी बिन्दु रेगुलर सूट के जरिये गवाहान के बयानात आदि से ही तय हो सकते है । इस बारे मे किसी प्रकार का विवेचन राजस्व न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे देते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-8-2004 के द्वारा खारीज की है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये तथा वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2016 (1) सीसीसी पेज 165 (राज) की निर्णय नजीर प्रस्तुत की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि अपीलांट यदि उक्त अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानता है तो उसे वसीयत एवं बक्शीशनामे के दस्तावेजात को शून्य घोषित करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर चाराजोही करनी चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप नही करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-8-2004

वरि. राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

एवं बहस के दौरान पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज तथा निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । प्रस्तुत अपील मे वर्तमान अपीलांटगण के पति एवं पिता भंवरसिह की ओर से म्युटेशन संख्या 1070 के विरूद्ध प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव संग अभियान केम्प घाणेराव मे दिनांक 27–11–2001 को प्रार्थना पत्र बाबत फोतेदगी नामांतरकरण गलत भरने विषय का प्रस्तुत किया । जिसे उपखण्ड अधिकारी देसूरी के न्यायालय मे राजस्व अपील संख्या 2/2002 सरकार बनाम देवीसिह वगैरा दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद पक्षकारो की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–8–2004 मे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को 27 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत करने एवं डिले का कोई प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नही किया होने का विवेचन देते हुए खारीज की गई थी । अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–8–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष भी वर्ष 2018 मे लगभग 14 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है तथा अपील विलंब से प्रस्तुत करने के फलस्वरूप इस अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मे जो कारण विलब के दर्शाये गये है वे ठोस एवं संतोषजनक कारण नही होकर मात्र काल्पनिक कारण होने से उसके आधार पर 14 वर्ष के विलंब को क्षमा करके अपील को अंदर सुमार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है । जैसाकि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–8–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के सलंग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का

कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही चलने योग्य नही होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–8–2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर